बुलंदशहर - चाना देवी आदि बनाम 111/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
19-2-18	पत्र: [illegible] पीठासीन [illegible] पर है। अतः [illegible] पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 20-4-18 को पेश हो।	
20.4.18	पत्रावली पेश। वकील [illegible] आदेश 39 [illegible] AD पेश [illegible] 4, 6 [illegible] कार्य [illegible] करने पेश होने [illegible] दिनांक 4.7.18 को पेश हो।	
4.7.18	पत्रावली पेश। वकील [illegible] आदेश 39 [illegible] AD पेश [illegible] 4, 6 [illegible] पेश होने पर करने की [illegible] 20.8.18 [illegible] को पेश हो।	
20.8.18	[illegible] उपस्थित [illegible]	
15-10-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील [illegible] सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय [illegible] होकर नकल से कम होकर बाद तसदीक मुकमील दाखिल दफ्तर हो।	

15/X/18

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official